न्यायालय– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(उत्तर रेलवे) गाजियाबाद

आदेश

दिनांक–20–02–2025

पत्रावली पेश हुयी। अभियुक्त ने अपराध स्वीकार किया। स्वेच्छा व बिना किसी दबाव के संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को न्यूनतम अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 दिन का साधारण कारावास भोगना होगा।

(शोभित राय)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
(उत्तर रेलवे), गाजियाबाद।